

30 अप

पञ्चावली पेश हुई। उद्योग व
वकील उद्योग उपस्थित नहीं। इनके अनुपाय
रहने के कारण उद्योग-पत्र से संबंधित मूल
दावा अदम पेशी अदम हाजी में खारिज हो
चका है। जिससे यह उद्योग-पत्र भी अब अगे
चलने योग्य नहीं है।

अतः यह उद्योग-पत्र भी इसी
स्तर पर खारिज किया जा रहा है। पञ्चावली निर्णय
में शुमार की जावे तथा करीब तकमिल की
जाकर दारिफल दफ्तर की जावे।

↓
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (बुरु)